दक्षिण रेलवे/**SOUTHERN RAILWAY**

No.P(R)555/P/Vol.VIII

प्रधानकार्यालय/ Headquarters Office
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch
चेन्नै/Chennai - 600 003
दि./ Dated:03-02-2016

आर बी ई सं/RBE No. 6 / 2016 **पी बी सी सं/ PBC No: 7 / 2016**

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs / DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Wokshops / other Units, etc.,
(As per mailing list –'A')

विषय/Sub: Retention of leased accommodation by Railway Officers / Staff while on Study Leave.

******

A copy of Railway Board's letter No.E(G)2016 QR-1-1 dated 11-01-2016 (RBE No. 6 / 2016) is enclosed for information, guidance and necessary action.

Railway Board's letter dated 09-12-1998, 28-02-2002 & 05-05-2006 has been circulated under PBC No. 278 / 1998, PBC No. 45 / 2002 & PBC No. 99 / 2006 respectively.

3/2/16
(B.INDUMATHY)
Asst Personnel Officer/M&E
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी
For Chief Personnel Officer

संलग्न/Encl: as above

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU
The Genl Secy / AISCSTREA
The Genl Secy / AIOBCREA

The Genl Secy / NFIR

RBE NO: 06 /2016.

GOVERNMENT OF INDIA/**Bharat Sarkar**
MINISTRY OF RAILWAYS/**Rail Mantralaya**
Railway Board

No. E(G) 2016 QR-1-1 **New Delhi, Dated: 11 .01.16.**

महाप्रबंधक का कार्यालय
GENERAL MANAGER'S OFFICE
18 JAN 2016
दक्षिण रेलवे/Southern Railway
चेन्नै/Chennai-600 003

The General Managers,
All Indian Railways/PSUs and others.
(As per standard mailing list)

Sub: Retention of leased accommodation by Railway officers/staff while on Study Leave.

The existing instructions regarding retention of leased/hired accommodation allotted to Railway officers on occurrence of events like transfer/deputation/retirement/death etc. have been notified in terms of Railway Board's letter No.1998/LMB/12/18 dated 09.12.98 and letter No.2001/LMB/12/21 dated 28.02.2002, as mentioned in Item No.12 of the Railway Board's Master Circular No.2005/LMB/12/Master Circular dated 05.05.2006.

2. The above mentioned provisions on retention of leased accommodation have since been reviewed by Railway Board and inpartial modification thereof, it has now been decided:-

2.1. While on Study Leave Railway officers/staff may be allowed retention of leased accommodation during the period of study leave subject to allotment of Govt./Railway accommodation, and

2.2. Retention of leased accommodation may be allowed to Railway officers/staff during Study Leave as indicated below:-

(a) In case the period of Study Leave is six months or less and the officer/employee is in occupation of leased accommodation as per his/her entitlement, he/she may retain the leased accommodation for entire period of Study Leave on payment of normal licence fee.

(b) In such cases where the period of Study Leave extends beyond six months, the officer/employee may retain leased accommodation as per his/her entitlement for the period beyond six months on payment of double the licence fee or he/she may accept leased accommodation of one level below his/her entitlement in which case he/she will be liable to pay normal licence fee.

(c) While on Study Leave the leased accommodation shall be permitted to be retained till allotment of Government/Railway accommodation and any occupation thereafter shall be treated as unauthorized.

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge receipt.

(Sanjay Gauri)
Dy.Dir.Estt.(Genl.)-II

महाप्रबंधक का कार्यालय
GENERAL MANAGER'S OFFICE
19 JAN 2016
दक्षिण रेलवे/Southern Railway
चेन्नई/Chennai-600 003

<u>आरबीई सं. 6/2016.</u>

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. ई(जी)2016 क्यूआर1-1 नई दिल्ली, दिनांक: 11.01.2016

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां एवं अन्य
(मानक डाक-सूची के अनुसार)

विषय: अध्ययन अवकाश पर रहने के दौरान रेल अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पट्टे पर लिए गए आवास को अपने पास रखना।

जैसाकि रेलवे बोर्ड के दिनांक 05.05.2006 के मास्टर सर्कुलर सं. 2005/एलएमबी/12/मास्टर सर्कुलर के मद सं. 12 में उल्लिखित है, स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्ति/मृत्यु आदि जैसी घटनाओं में रेल अधिकारियों को आबंटित पट्टे वाले/किराए पर लिए गए आवास को अपने पास रोके रखने के संबंध में मौजूदा अनुदेश रेलवे बोर्ड के दिनांक 09.12.98 के पत्र सं. 1998/एलएमबी/12/18 और दिनांक 28.02.2002 के पत्र सं. 2001/एलएमबी/12/21 के तहत अधिसूचित किए गए हैं।

2. पट्टे पर लिए गए आवास को अपने पास रोके रखने के संबंध में उपर्युक्त प्रावधानों की अब रेलवे बोर्ड द्वारा समीक्षा की गई है और उसमें आंशिक संशोधन करते हुए अब यह विनिश्चय किया गया है कि:-

2.1 रेल अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी/रेल आवास आबंटित किए जाने के अध्यधीन अध्ययन अवकाश के दौरान पट्टे पर लिए गए आवास को अपने पास रखने की अनुमति दी जाए, और

2.2 अध्ययन अवकाश के दौरान रेल अधिकारियों/कर्मचारियों को पट्टे पर लिए गए आवास को निम्नानुसार अपने पास रखने की अनुमति दी जाए:-

(क) यदि अध्ययन अवकाश की अवधि छः माह या उससे कम हो और अधिकारी/कर्मचारी के पास उसकी पात्रता के अनुसार पट्टे वाला आवास हो तो वह सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके अध्ययन अवकाश की संपूर्ण अवधि के दौरान पट्टे वाला आवास अपने पास रख सकता/सकती है।

(ख) ऐसे मामलों में जहां अध्ययन की अवधि छः माह से अधिक हो, अधिकारी/कर्मचारी छः माह से अधिक की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क के दोगुने शुल्क का भुगतान करके अपनी पात्रता के अनुसार पट्टे वाला आवास अपने पास रख सकता है या वह अपनी पात्रता से एक स्तर नीचे पट्टे वाला आवास स्वीकार कर सकता/सकती है जिस मामले में उसे सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ग) अध्ययन अवकाश पर रहने के दौरान पट्टे वाले आवास को तब तक अपने पास रखने की अनुमति दी जाएगी जब तक सरकारी/रेलवे आवास आबंटित नहीं हो जाता और उसके बाद किसी भी प्रकार से आवास को अपने कब्जे में रखना अनधिकृत माना जाएगा।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

4. कृपया पावती दें।

(संजय गौरी)
उप निदेशक स्था. (सा.)-II

सं. ई(जी)2016 क्यूआर1-1 नई दिल्ली, दिनांक 11.01.2016